

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 11234 / 12-1 दिनांक, चकराता 21 मई 2019

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सहिया।

विषय- जनपद-देहरादून में अन्तर्गत हमरऊ ललऊ मसराड़ मोटर मार्ग का दातनू बडनू तक विस्तार हेतु 2.0825 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ - अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-2996 दि० 06.05.2019

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी०/०६/१३५/२०१८/एफ०सी०/१५१ दि० २९.०४.२०१९ से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावेदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय।	4.165 है०	2,78,665/-	11,60,640.00
2	एन०पी०वी०	2.0825 है०	6,57,000/-	13,68,203.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं०-1 एवं 2 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 11234 / 12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।